

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
(किसान मण्डी भवन, द्वितीय तल, गामती नगर, लखनऊ)

पत्रांक / यूपीईआरसी / 2005 / सचिव कैम्प-1
दिनांक : 21 अक्टूबर 2005

सार्वजनिक सूचना

सूचना अधिकार अधिनियम के अनुपालन में सचिव, उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग को आयोग की ओर से सूचना अधिकारी नामित किया गया है। अधिनियम की धारा 4(1) (ब) के तहत सूचना सम्बन्धी विनियमन, आदेश व अन्य सूचनायें आयोग की वेब साइट www.uperc.org पर उपलब्ध है।

2— जनसाधारण से निवेदन है कि अधिनियम की धारा 6 (1) के अन्तर्गत किसी सूचना को प्राप्त करने हेतु इलेक्ट्रानिक माध्यम से अथवा लिखित रूप (हिन्दी अथवा अंग्रेजी में) सचिव, उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग को निम्नलिखित रूप पत्र पर आवेदन करें।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र

आवेदक के नाम
सम्पर्क हेतु पता
दूरभाष का नं०
E-mail का पता
वांछित सूचना का संक्षिप्त उल्लेख

फीस प्रप्ति का विवरण

नकद / डी०डी० / चैक नं० ----- दिनांक ----- बैंक का नाम -----

नोट: फीस का भुगतान राज्य सरकार के शासनादेश सं० 993/43-2-2005 दिनांक 19-10-2005 के क्रम में करें।

फीस नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक द्वारा दी जा सकती है। डिमाण्ड ड्राफ्ट / चैक सचिव, उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग के नाम से (payable) बनेंगे। करें।

(1) धारा 6 की उप धारा (1) के अर्न्तगत प्रत्येक सूचना की प्राप्ति हेतु आवेदन की फीस रू0 10/-होगी ।

(2) धारा 7 की उप धारा (1) के अर्न्तगत सूचना हेतु निम्न दरों पर फीस देय होगी ।

1- रू0 2-00 प्रति पेज (ए-4 या ए-3 साइज के कागज पर)

2- बडे साइज के पेपर पर वास्तविक मूल्य ।

3- सेम्पुल या माडल की लागत पर वास्तविक लागत , और

4- अभिलेख की जांच हेतु रू0 10/- प्रति घंटा प्रथम वार और उसके उपरान्त प्रत्येक 15 मिनट या उसके अन्तराल पर रू0 5/-,

(3) धारा 7 (5) के अर्न्तगत चार्ज की जाने वाली फीस 50/- प्रति डिस्कट या फ्लोपी , निर्धारित मूल्य प्रकाशनों हेतु वास्तविक मूल्य, या उसके उद्घरण की फोटो कापी पर रू0 2-00 प्रति पृष्ठ ।

अधिनियम की धारा 19 (1) व धारा 19 (2) के अर्न्तगत अपील अध्यक्ष, उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के स्तर पर की जा सकती है ।

(संगीता वर्मा)
सचिव



Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission

Kisan Mandi Bhawan, II Floor, Gomti Nagar, Lucknow-226010 Phone 2720426 Fax 2720423 E-mail secretary@uperc.org

No. UPERC/2005/Secty. Camp-1

Dated: 21 October 2005

PUBLIC NOTICE

In compliance Right to Information Act, 2005, Secretary UPERC has been designated Public Information Officer. Regulations, Orders and other information as per Clause 4 (1)(b) is available on the web site of the Commission www.uperc.org.

A person who desires to obtain any information under Section 6(1) of this Act is requested to make a request in writing, addressed to the Secretary, UPERC at the above address, or through electronic means in English or Hindi on the following format:

Request for Information under RIA 2005

Name of Applicant:

Contact Address :

Telephone No.:

E-Mail Address:

Particulars of the Information sought :

Details of fee paid*:

DD/Banker's Cheque No.....dt.....drawn on.....

*Note: Fee shall be payable as per State Govt. Order No. 993/43-2-2005 dated 19th October, 2005. Fee shall be paid by way of Cash/Demand Draft or banker's cheque payable to Secretary, UPERC.

1. Every request for obtaining information under sub section 1 of section 6 shall be accompanied by an application fee of Rs. 10/-
2. For providing information under sub section 1 of section 7 Fee is payable at the following rates:
 - (a) rupees two for each page (in A-4 or A-3 size paper) created or copies;
 - (b) actual charge or cost price of a copy in a larger size paper;
 - (c) actual cost or price for samples or models; and
 - (d) for inspection of records, Rs. 10/- for the first hour; and a fee of rupees five for each fifteen minutes (or fraction thereof) thereafter.
3. For information under section 7 (5) charges will be Rs. 50/- per diskette or floppy, actual price for priced publications or Rs. 2/- per page for photo copy for extracts thereof..

Appeals under sec 19(1) and 19(2) shall lie with Chairman, U.P. Electricity Regulatory Commission.

(Sangeeta Verma)
Secretary